

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 101] नई दिल्ली, रविवार, अप्रैल 1, 1984/चैत्र 12, 1906
No. 101] NEW DELHI, SUNDAY, APRIL 1, 1984/CHAITRA 12, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 1984

सा. का. नि. 264(अ) :—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का 74) की धारा 13 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय विक्रय कर (रजिस्ट्रीकरण और आवृत्ति) नियम, 1957 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय विक्रय कर (रजिस्ट्रीकरण और आवृत्ति) (संशोधन) नियम, 1984 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय विक्रय कर (रजिस्ट्रीकरण और आवर्त्त) नियम, 1957 के नियम 12 के उप-नियम (1) में, दूसरे परन्तुक में, "10,000 रुपये" अंकों और शब्द के स्थान पर "25,000 रुपये" अंक और शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 28/23/81-एस टी.]

भगवान दास, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 1st April, 1984

G.S.R. 264(E).—In exercise of the powers conferred by subsection (1) of Section 13 of the Central Sales Tax Act, 1956 (74 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Sales Tax (Registration and Turnover) Rules, 1957, namely :—

1. (i) These rules may be called the Central Sales Tax (Registration and Turnover) (Amendment) Rules, 1984.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Sales Tax (Registration and Turnover) Rules, 1957, in rule 12, in sub-rule (1), in the second proviso, for the word and figures "Rs. 10,000", the word and figures "Rs. 25,000" shall be substituted.

[F. No. 28/23/81-ST]

BHAGWAN DAS, Under Secy.